पत्रांक : 7009 / उ.सू.आ. / 2013–14
दिनांक : 13 / 06 / 2013

प्रिय

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25(2) के अंतर्गत लोक प्राधिकारियों के स्तर से आयोग को मुख्यतः दो प्रकार के मासिक प्रगति विवरण प्रेषित किये जाते थे, जिनमें (1) सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त होने वाले अनुरोध पत्र एवं एकत्रित धनराशि की पांच बिंदुओं पर सूचना, तथा (2) प्राप्त एवं निस्तारित प्रथम अपीलों से संबंधित प्रगति विवरण सम्मिलित होते थे. उक्त प्रगति विवरणों हेतु दो भिन्न प्रारूपों के स्थान पर माह मार्च, 2012 में आयोग द्वारा 21 बिंदुओं वाला एक नवीन समेकित प्रारूप तैयार कर प्रदेश के समस्त लोक प्राधिकारियों को प्रेषित किया गया था. इस नये प्रारूप में सूचना अनुरोध पत्रों तथा प्रथम अपीलों से संबंधित विवरणों के साथ–साथ सूचना अनुरोधों की अस्वीकृति की धाराओं से संबंधित विवरण भी अपेक्षित हैं. (प्रतिलिपि संलग्न).

2. विगत एक वर्ष से अधिक समयावधि में उक्त नवीन प्रारूप पर लोक प्राधिकारियों के स्तर से प्राप्त होने वाले विवरणों के अध्ययन से यह परिलक्षित होता है कि अधिकांश लोक प्राधिकारियों द्वारा उक्त नवीन प्रारूप के केवल स्तम्भ 2 से 9 की ही सूचना आयोग को प्रेषित की जा रही है. प्रारूप के स्तम्भ 10 से 22, जिसके अंतर्गत सूचना अनुरोधों की अस्वीकृति की धारा से संबंधित विवरण दिये जाने हैं, को केवल पुलिस मुख्यालय तथा प्रमुख वन संरक्षक कार्यालय द्वारा ही दिया जा रहा है. शेष समस्त विभागों द्वारा उक्त स्तम्भों की सूचना नहीं दी जा रही है जबकि इन लोक प्राधिकारियों द्वारा विभिन्न माहों में उक्त प्रारूप के स्तम्भ 5 (निस्तारित में से अस्वीकृत आवेदनों की संख्या) से संबंधित विवरण दिये जाते हैं. लोक प्राधिकारियों द्वारा उपरोक्त प्रकार से आयोग को सही विवरण न दिया जाना सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों का नितान्त उल्लंघन है.

4. आयोग में प्राप्त होने वाले उक्त प्रगति विवरणों के विश्लेषण से यह भी स्पष्ट होता है कि सचिवालय के सभी विभागों द्वारा मासिक प्रगति विवरण आयोग को नियमित रूप से नहीं प्रेषित किये जा रहे हैं. सचिवालय स्तर से केवल आवास विभाग, राज्य सम्पत्ति विभाग, पेयजल विभाग, आबकारी विभाग, गोपन विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग तथा प्रोटोकॉल विभाग के स्तर से ही नियमित रूप से उक्त मासिक प्रगति विवरण आयोग को प्राप्त हो रहे हैं.

5. उपरोक्त के क्रम में अनुरोध है कि मासिक प्रगति प्रतिवेदन में आयोग को स्पष्ट एवं सही विवरण प्रेषित करने हेतु कृपया शासन स्तर से प्रदेश के समस्त लोक प्राधिकारियों को समुचित रूप से निर्देशित करने का कष्ट करें. इसके अतिरिक्त सचिवालय के समस्त विभागों के स्तर से भी आयोग को नियमित रूप से मासिक प्रगति विवरण प्रेषित करने सम्बंधी स्पष्ट औपचारिक आदेश भी जारी करने का कष्ट करें तथा आयोग को भी अवगत कराने का कष्ट करें.

भवनिष्ठ,

संलग्न : यथोपरि.

(एन. एस. नपलच्याल)

श्री एस. एस. रावत
सचिव, सामान्य प्रशासन
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून